न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00174

1. महावीर आत्मज स्व0 सत्यनारायण ।
2. लोकेश आत्मज स्व0 सत्यनारायण जाति मीणा निवासी कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. सत्यप्रकाश आत्मज पुष्पचन्द ।
2. रूपचन्द आत्मज पुष्पचन्द ।
3. पुष्पचन्द आत्मज श्रीराम ।
4. मिथलेश पत्नी रूप चन्द जाति मीणा निवीस कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बनवारी लाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मायाराम स्वामी, धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 23.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कराडिया तहसील दीगोद में कुल 07 किता की रकबा 6.58 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 03 के खाते में दर्ज है, उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है जो अप्रार्थी क्रम 03 को उनके पिता श्रीराम जी से प्राप्त हुई है । ग्राम कराडिया तहसील

दीगोद की कुल किता 10 की रकबा 9.77 हैक्टर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण की पडदादी मोत्या बेवा श्रीराम जी के खाते में दर्ज चली आ रही है । पक्षकारान मीणा जाति के सदस्य हैं इस कारण महिलाओं को भूमि दान, बेचान, अन्तरण करने का अधिकार नहीं होता है केवल मात्र उपयोग व उपभोग करने का ही अधिकार प्राप्त है इसके बावजूद भी अप्रार्थी कम 01 मोत्या बाई से मिली–भगत कर अप्रार्थी कम 04 के नाम उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 552 की रकबा 3.35 हैक्टर भूमि का दानपत्र करवा लिया । उक्त दानपत्र कानूनन, अवैध व प्रभावशून्य है । उक्त भूमि में अप्रार्थी कम 03 के साथ प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1, 2 व 3 का बराबर हक व हिस्सा है अर्थात् प्रार्थीगण का उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 व 2 का नाम दर्ज नहीं है । इस कारण अप्रार्थी कम 3 व 4 अन्य लोगों के बहकावे में आकर उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान व अन्तरण नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी कम 3 व 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.11.2020 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2020 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्टगण की पुश्तैनी भूमि है । रेस्पोडेन्ट कम 03 के पुत्र मृतक सत्यनारायण व मोत्या बाई का पौत्र मृतक सत्यनारायण है । अपीलान्ट मृतक सत्यनारायण पुत्र पुष्पचन्द के वारिसान हैं जिनका उक्त भूमि में जन्म से ही रेस्पोडेन्ट के साथ बराबर का हक व अधिकार है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट कम 03 ने अपने व अपनी माता मोत्या बाई के खाते की भूमि जो पुश्तैनी है का आपसी विभाजन कर अपने तीनों पुत्रों रेस्पोडेन्ट कम 1, 2 व मृतक पुत्र सत्यनारायण जो अपीलान्टगण के पिता है को दी हुई है जिन पर सभी का कब्जा चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 52 व 189 की भूमि दिल्ली बडोदरा 08 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 –ए में अवाप्त की गई है उक्त भूमि के अधिकांश हिस्से पर अपीलान्टगण का कब्जा चला आ रहा है तथा मुआवजे की राशि अपीलान्ट को ही मिलनी चाहिए किन्तु रेस्पोडेन्ट कम 03 ही समस्त मुआवजा राशि प्राप्त करने पर आमादा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के दादा और अपीलान्ट की पडदादी के खाते में दर्ज चली आ रही है जो अपीलान्ट की पुश्तैनी आराजी है । अपीलान्ट मृतक सत्यनारायण के पुत्र हैं और पुष्पचन्द के वारिस हैं जिनका इस आराजी में जन्म से ही अधिकार है। यह आराजी उनके जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है । मोत्या बाई को आराजी उनके पति से मिली थी उनके द्वारा अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 552 रकबा 3.35 हैक्टर रेस्पोडेन्ट क्रम 04 को दान की है । यदि अपीलान्टगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है तो रेस्पोडेन्ट मुआवजा प्राप्त कर लेंगे जिससे अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का कब्जा नहीं मानने में त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट क्रम 03 समस्त मुआवजा राशि प्राप्त करने पर आमादा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है । अपीलान्ट न तो वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं और न ही हिस्सेदार हैं । मद संख्या 02 में अंकित समस्त आराजी पुष्पचन्द की स्वअर्जित सम्पत्ति है जो क्रयशुदा है । पूर्व खातेदार सूरजमल आत्मज कन्हैया लाल मीणा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.05.1968 को क्रय की थी जिस पर बहैसियत खतोदार काबिज काश्त है । मोत्याबाई को अपने खाते की आराजी को दान करने का पूर्ण अधिकार था जो आराजी उनके द्वारा दान की गई थी वो प्रतिपक्षी क्रम 04 के खाते में दर्ज चली आ रही है । प्रार्थीगण का इसमें कोई अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थीगण और उनकी माता के नाम ग्राम कराडिया में ही आराजी क्रय करके खाते दर्ज करवायी है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है । भूमि अवाप्ति अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है । मुआवजे का प्रकरण सिविल न्यायालय में ही चल सकता है, राजस्व न्यायालय में नहीं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2020 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । रेस्पोडेन्ट ने फर्द के साथ अपील में कुछ दस्तावेज पेश किये हैं जिसमें दावा संख्या 59/2020 की आदेशिका की फोटो प्रति, सिविल न्यायाधीश दीगोद में पेश किये गये अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति, प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश शपथ पत्र की फोटो प्रति, सिविल न्यायालय में पेश दावा संख्या 63/2020 की फोटो प्रति पेश की गई है । प्रतिवादी क्रम 05 के द्वारा इस दावे में पेश किये गये आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी पुष्पचन्द के तन्हा खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 185 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम कराडिया की खसरा नम्बर 632/178 रकबा 0.48 हैक्टर भूमि रामविलासी पत्नी सत्यनारायण के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 210 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 03 किता की रकबा 6.31

हैक्टर आराजी सत्यप्रकाश, रूपनारायण, पुत्र पुष्पचन्द हिस्सा 2/3 महावीर, लोकेश पुत्र रामविलासी बाई बेवा सत्यनारायण हिस्सा 1/3 दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 134 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम कराडिया की कुल 10 किता की रकबा 9.77 हैक्टर भूमि मोत्या बेवा श्रीराम के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 184 की फोटो प्रति संलग्न है, विक्रय पत्र दिनांक 28.05.1968 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार सूरजमल के द्वारा 29 बीघा 16 बिस्वा आराजी ग्राम कराडिया तहसील दीगोद पुष्पचन्द को बेचान की है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 28.05.68, भूमि अवाप्ति अधिकारी के नोटिस दिनांक 05.11.19 की प्रतियॉ, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 185, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 134, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सवंत् 2072–75 नया खाता संख्या 184, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 नया खाता संख्या 124, नकल जमाबन्दी संवत् 2032–35, संवत् 2036–39, संवत् 2028–31, संवत् 2014–27 संवत् 2052–55 पेश की गई हैं।

12. इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय में जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उसके अनुसार पुष्पचन्द के खाते में तन्हा रूप से कुल 07 किता की 6.58 हैक्टर आराजी दर्ज है और उनके द्वारा जो विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की गई है एवं मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति पेश की गई है उसके अनुसार यह आराजी उनके द्वारा सन् 1968 में क्रय की गई है जो कि उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति है । इसी प्रकार नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 134 के अनुसार मद संख्या 04 में अंकित आराजी मोत्या बाई के तन्हा खाते में दर्ज है और इसमे नामान्तरकरण संख्या 776 दिनांक 05.07.2019 का नोट अंकित है जिसके अनुसार आराजी खसरा नम्बर 552 रकबा 3.35 हैक्टर की आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 04 के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है ।

13. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट ने मोत्या बाई को पक्षकार नहीं बनाया है । वादग्रस्त आराजी पुष्पचन्द एवं मोत्या बाई के तन्हा खाते में दर्ज है एवं पुष्पचन्द ने जो विक्रय पत्र की प्रति पेश की है उसके अनुसार यह आराजी उनकी स्वअर्जित है जिसके लिए अपीलान्टगण उनके जीवनकाल में कोई हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । अपीलान्टगण ने मोत्याबाई को पक्षकार नहीं बनाया है और मोत्या बाई के तन्हा खाते में मद संख्या 04 में वर्णित आराजी दर्ज है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण अपीलान्ट ने मुआवजे के भुगतान बाबत् सिविल न्यायालय में प्रार्थना पत्र एवं दावा पेश किया है जो जैरकार है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर वादग्रस्त आराजी के बावत् प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में तय नही पायी जाती है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2020 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा